न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना

बइजलास – सुनील कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 17/2023

प्रार्थीगण :–

1. अनुडीदेवी पत्नि रामचन्द्र जाति जाट
2. रामूराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट
   निवासीगण लाडोली तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थीगण :–

1. ओमकंवर पत्नि सायरसिंह जाति राजपूत
2. किशनसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत
3. दशरथसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत
4. नाहरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत
   4/1 मंगनसिंह पुत्र नाहरसिंह
   4/2 उम्मेदसिंह पुत्र नाहरसिंह
   4/3 टीटूसिंह पुत्र नाहरसिंह
5. श्योजीराम पुत्र बिडदाराम जाति जाट
6. सज्जनकंवर पत्नि नाहरसिंह जाति राजपूत
7. दुर्गाराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट
8. कानूडी पत्नि नारायणराम जाति मेघवाल (फोत)
9. दीपाराम पुत्र कचरूराम जाति भाम्भी
10. राधादेवी पत्नि कचरूराम जाति भाम्भी
11. चावकंवर पत्नि घीसूसिंह जाति राजपूत
12. जितेन्द्रसिंह पुत्र घीसूसिंह जाति राजपूत
13. धापूकंवर पुत्री घीसूसिंह जाति राजपूत
14. भगवानसिंह पुत्र घीसूसिंह जाति राजपूत
15. सेनाकंवर पुत्री घीसूसिंह जाति राजपूत
16. सरोजकंवर पुत्री घीसूसिंह जाति राजपूत
17. सायरकंवर पत्नि घीसूसिंह जाति राजपूत
18. नन्दसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत
19. राजुकंवर पत्नि लालसिंह जाति राजपूत
20. केसरदेवी पत्नी सुखाराम जाति जाट
21. बन्नाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट
22. सुशीला पुत्री सुखाराम जाति जाट
23. सोहनी पुत्री सुखाराम जाति जाट
24. चन्द्रीदेवी पुत्री रूघाराम जाति जाट
25. भंवरलाल पुत्र रूघनाथ जाति जाट
26. हेमाराम पुत्र रूघनाथ जाति जाट
27. मुकेशराम पुत्र उदाराम जाति जाट
28. लाडदेवी पत्नि उदाराम जाति जाट
29. ओंकारराम पुत्र पूसाराम जाति जाट
30. पेमादेवी पुत्री पुसाराम जाति जाट
31. भंवरलाल पुत्र पुसाराम जाति जाट
32. मुकेश पुत्र कुम्भाराम जाति जाट
33. मन्जू पुत्र कुम्भाराम जाति जाट
34. सुरेश पुत्र कुम्भाराम जाति जाट

उपखण्ड अधिकारी
मकराना

35. सुगनीदेवी पत्नि कुम्भाराम जाति जाट
36. मनरूप पुत्र बक्षाराम जाति जाट
36/1 भंवरलाल पुत्र मनरूप
36/2 खीवाराम पुत्र मनरूप
36/3 धन्नाराम पुत्र मनरूपं
36/4 देवाराम पुत्र मनरूप
36/5 कानाराम पुत्र मनरूप
37. संतोष पुत्री मांगीलाल जाति जाट
38. विमला पुत्री मांगीलाल जाति जाट
39. विक्रम पुत्र राजूराम जाति भाम्भी
40. सीमा पुत्री पूरण जाति भाम्भी
निवासीगण लाडोली तह. मकराना जिला डीडवाना–कुचामन

वकील प्रार्थी – श्री राजूराम चौधरी उपस्थित
वकील अप्रार्थी – श्री संजय खां उपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम

आदेश

प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम लाडोली की राजस्व सरहद में प्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 194, 265/195 स्थित है इस खेत के उतरी तरफ खसरा नं. 194/1, 196/2, 200/1, 199/1, 200, 199, 198, 198/1 स्थित है प्रार्थीगण के खेत व कटाणी रास्ते के बीच खसरा संख्या 194/1, 196/2, 200/1, 199/1, 200, 199, 198, 198/1 के बीच मौके पर चले आ रहे रास्ते शुरू से आते जाते रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड में रास्ते इन्द्राज नही है ओर इस खसरे की खातेदारो द्वारा रोक टोक की जाती रही है परन्तु कानूनन हमारे पास दुसरा विकल्प नही है। हमारे खेत व कटाणी रास्ते के सबसे नजदीकी 194/1, 196/2, 200/1, 199/1, 200, 199, 198, 198/1 ही है। कटाणी रास्ता लाडोली से सिरसू में जाता है से हमारे खेत के पास स्थित है, खसरा संख्या 194, 265/195 व कटाणी रास्ते के बीच नजरी नक्शा परिशिष्ठ क में दर्शाये अनुसार हमारे खेत खसरा संख्या 194, 265/195 से आगे कटाणी रास्ते में मिलता है जो मौके पर 18 फीट चौडा रास्ता चाहिए जो प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है और इसका राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना जरूरी है ताकि भविष्य में हमारे विवाद न हो प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का परिवार इसी रास्ते को शुरू से काम में लेते आये है। आवेदकगण के खेत खसरा संख्या 194, 265/195 के रास्ते की सुविधा के बदले नियमानुसार आदेशानुसार प्रतिकर का संदाय तुरन्त करने के लिए तैयार है। अतः वर्णित जोत खसरा संख्या 194, 265/195 सरहद लाडोली में आने जाने हेतु वाहनो के आने जाने हेतु रास्ता जो आगे जाकर लाडोली से राजस्व कृषि भूमियों में जाने वाले कटाणी रास्ते में मिलता है। आवेदकगण के खेत खसरा संख्या 194, 265/195 व अप्रार्थीगण/अनाआवेदको के खेत खसरा संख्या 194/1, 196/2, 200/1, 199/1, 200, 199, 198, 198/1 के बीच में से संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ क में बताये बिन्दु अ,ब,स,द,य के बीच लाल स्याही से बताये गये रास्ता 18 फीट चौडा रास्ता आवेदकगण लेना चाहता है जिसकी एवज में नियमानुसार भुगतान करने को तैयार है तथा उक्त मार्ग की भूमि पर अनावेदको की अभिधृति निर्वापित घोषित कर उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7, 9 ता 40 की ओर से वकील संजयखान द्वारा वकालतनामा एवं जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 के फोत होने एवं उसके वारिस पूर्व में ही रिकार्ड पर होना जाहिर किया गया। अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
मकराना

द्वारा अपने जवाब में जाहिर किया गया कि मौजा लाडोली के खसरा संख्या 194, 265/195 में जाने हेतु व खसरा संख्या 194/1, 196/2, 200/1, 199/1, 200, 199, 198, 198/1 में से आगे जो कटाणी रास्ता चला आ रहा है एवं उक्त रास्ता लाडोली से सिरसू जाने वाले कटाणी रास्ते से हम अनावेदको के खेत संख्या 194/1, 196/2, 200/1, 199/1, 200, 199, 198, 198/1 में से संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मौके पर चल रहे 18 फीट चौडे रास्ते को कटाणी कर दिया जावे तो हम अनावेदको को कोई आपति नही है एवं उक्त रास्ता हम अनआवेदक कर्ताओ ने बिना किसी प्रतिफल के दिया है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत रास्ते के बदले हम अनआवेदकगण किसी प्रकार के प्रतिफल प्राप्त नही करना चाहते है। तहसीलदार मकराना द्वारा मौका रिपोर्ट में चाहे गये रास्ते का नजरी नक्शा पेश किया गया एवं रास्ता अत्याधिक आवश्यक होना व प्रार्थी के खेत हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य एवं बहस पक्षकारान का आधोपन्न अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते में आने वाली भूमि को रास्ते हेतु रिकार्ड में दर्ज करने एवं उक्त भूमि का किसी प्रकार का प्रतिकर नही चाहने बावत प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार मकराना द्वारा भी प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही होना स्वीकार किया गया है। तहसीलदार मकराना द्वारा प्रस्तावित रास्ता एवं निकटतम मार्ग में से प्रस्तावित रास्ते बाबत सभी पक्षकार सहमत है एवं उक्त रास्ता अन्य खातेदारों के खसरान में भी लगता है जिससे भविष्य में रास्ते बाबत विवाद होने की सम्भावना नही रहती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मौजा लाडोली के खेत खसरा सं. 194, 265/195 में जाने के लिऐ खसरा संख्या 194/1, 196/2, 200/1, 199/1, 200, 199, 198, 198/1 में से मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे अनुसार 18 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया जाता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 09.02.2024 व प्रस्तावित रास्ता नक्शा आदेश का भाग रहेगे। तहसीलदार मकराना को आदेशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 23/5/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/5/24

उपखण्ड अधिकारी
मकराना

उपखण्ड अधिकारी
मकराना